

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 55/16

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री सज्जनसिंह भाटी पुत्र श्री भंवरलाल भाटी उम्र 43 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म मैसर्स रावत मिष्ठान भण्डार, नांदडी फांटा, बनाड़ रोड़, जोधपुर। निवासी खेड़ी वाला बेरा, माता का थान जोधपुर।
2. श्रीमती सोहनी देवी गहलोत (मालिक) फर्म मैसर्स श्री रावत मिष्ठान भण्डार, नान्दडी फांटा, बनाड़ रोड़, जोधपुर। निवासी नांदडी फांटा, बनाड़ रोड़, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 23.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स श्री रावत मिष्ठान भण्डार, नांदडी फांटा, बनाड़ रोड़, जोधपुर पहुंच कर निरीक्षण करने दौरान 5 किलोग्राम मावा काउन्टर में स्टील ट्रे में आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त मावे में से 1 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना संख्या एम-1063 वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 320/- नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा नमूना मावा को साफ-सुखी खाली चार शीशीयों में तोड़कर बराबर-बराबर मिलाकर व भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20-20 बूंदें बतौर प्रीजरवेटिव डालकर एयरटाईट बंद कर चारों शीशीयों पर लगाने के लिए अलग-अलग चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम-1063 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम-1063 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदे तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार-चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी-292 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की। जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया। उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की गई। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि मावा के चारों नमूना शीशीयों को अलग-अलग 2-2 भागों में एम-1063 के जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/343/एक्ट/2016/373 दिनांक 07.04.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जाँच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (1) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम-1063 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी।
3. अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया गया। जिसमें निवेदन किया गया की मावे हेतु दूध खरीद करते समय दूध विक्रेता द्वारा हल्की मिलावट एवं मावा बनाते समय कडाही में ही पानी की बूंदों के कारण मावे की मानकता कम हो



सकती है। तथा मावे का नमूना लेते समय जिस बर्तन में नमूना लिया गया था वह पहले से ही साफ-सुथरी हालत में नहीं था। जांच अधिकारी द्वारा नमूना लेते समय लापरवाही बरती गई। अप्रार्थीगण को नोटिस खारिज फरमावें।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण पब्लिक हैल्थ लेबोरेटरी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 07.04.2016 के विरुद्ध अप्रार्थीगण अपील कर सकता था। परन्तु बावजूद सूचनार्थ अप्रार्थी ने निर्धारित तीस दिवस की अवधि में धारा 46 की उपधारा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में नहीं की। अतः मैं फूड ऐनालेसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 52 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थी पर रूपये 10,000/- अक्षरे रूपये दस हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 30/6/17 के एक माह के अंदर-अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 30/6/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(सीमा कविया)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर  
मजिस्ट्रेट (शहर) दिनांक: 30-6-17

क्रमांक:- न्यायिक/कोर्ट/2017/1488-1491

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
03. श्री सज्जनसिंह भाटी पुत्र श्री भंवरलाल भाटी उम्र 43 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म मैसर्स रावत मिष्ठान भण्डार, नांदडी फांटा, बनाड़ रोड, जोधपुर।
04. श्रीमती सोहनी देवी गहलोत (मालिक) फर्म मैसर्स श्री रावत मिष्ठान भण्डार, नांदडी फांटा, बनाड़ रोड़, जोधपुर।

(सीमा कविया)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर  
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर